

प्रेषक,

आनन्द कुमार उपाध्याय,
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मिर्जापुर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मिर्जापुर।

विषय: प्रापर्टी स्टेटमेण्ट विलम्ब से प्रेषित किये जाने के विषय में।

महोदय,

ससम्मान पूर्वक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा सी0एल0 संख्या-16/IV-16/एडमिन (ए) के अनुपालन में मेरे द्वारा अपना प्रापर्टी स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रापर्टी स्टेटमेण्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण इस सन्दर्भ में अज्ञानता व कोरोना महामारी है। विलम्ब के लिए प्रार्थी क्षमा की याचना करता है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं होगी।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रापर्टी स्टेटमेण्ट का सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखने की कृपा करें। प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

सादर,

दिनांक:-09.12.2021

भवदीय

(आनन्द कुमार उपाध्याय)
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मिर्जापुर।